

दिनांक: 30th सितम्बर 2024

आदेश/ORDER

विषय: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के तहत फेरीवालों के लिए रजिस्ट्रीकरण/पंजीकरण शुल्क माफ करने के संबंध में । [Direction under Section 16(5) of Food Safety and Standards Act, 2006 regarding waiving of registration fees for Hawkers].

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के प्रावधान 2.1.1 के अनुसार, प्रत्येक छोटे खाद्य व्यवसाय संचालक को इन विनियमों के अनुसूची 2 के तहत फॉर्म A में पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के साथ स्वयं को पंजीकृत करना अनिवार्य है। इसके साथ अनुसूची 3 के अनुसार शुल्क यानी प्रति वर्ष 100 रुपये जमा करना आवश्यक होता है।

Provision 2.1.1 of Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulation, 2011 mandates every petty Food Business Operator to register themselves with the registering authority by submitting an application for registration in Form A under Schedule 2 of these regulations along with a fee as provided in Schedule 3 i.e Rs.100 per year.

२. "फेरीवाला" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो पैकेज्ड या ताजे तैयार किए गए खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करके (आमतौर पर पैदल या चलने वाले ठेलों पर) बेचता है और उसे ऊपर दिए गए पैरा 1 के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होता है।

2. 'Hawker' means a person involved in *selling packaged or freshly prepared food by travelling (usually on foot or movable carts) from one location to other* and is also required to comply with the provisions specified under para 1 above.

३. खाद्य प्राधिकरण द्वारा फेरीवालों का पंजीकरण शुल्क माफ करने और उन्हें नया पंजीकरण आवेदन करने पर पांच वर्षों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है [एक से पांच वर्षों की वैधता के चयन का विकल्प देने के बजाय]। यह पंजीकरण शुल्क माफी सभी फेरीवालों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण पर भी लागू होगी।

3. The Food Authority has decided to waive off the registration fees of hawkers and grant them the registration certificate for five years [instead of giving option for selection of validity from one to five years] when applying for new Registration. This waiver of registration fee will also be applicable for renewal of registration certificate by all hawkers.

४. फेरीवालों के लिए यह पंजीकरण शुल्क माफी 28 सितंबर 2024 से प्रभाव में आ गई है। पंजीकरण के लिए FoSCoS में फेरीवालों की व्यवसाय श्रेणी 'फूड सर्विसेज -> फेरीवाला (घुमंतू / मोबाइल खाद्य विक्रेता)' है।

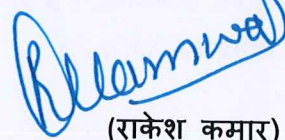
[नोट: उन मौजूदा आवेदनों के लिए जो 28 सितंबर 2024 से पहले किए गए हैं और जो प्रक्रिया में हैं, उनकी शुल्क वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा]

4. This waiver of registration fee for hawkers has come into the effect from **28th September 2024**. The Kind of Business for Hawkers category in FoSCoS for applying Registration is '**Food Services -> Hawker (Itinerant / Mobile food vendor)**'.

[Note: The fees paid for existing application [prior to 28th September 2024] which are under process, will not be considered for refund].

५. यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

5. This issues with the approval of the Competent Authority in exercise of power vested under Section 16(5) of Food Safety and Standards Act, 2006.



(राकेश कुमार)

निदेशक (नियामक अनुपालन)

To:

1. All Food Business Operators, Associations, Food Safety Mitra and other stakeholders.
2. Commissioners of Food Safety of all States/UTs
3. Directors of all Regionals Offices, FSSAI
4. CTO, FSSAI - with a request for uploading on the FSSAI website

Copy for information to:

1. PPS to Chairperson, FSSAI
2. PS to CEO, FSSAI.